

# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की  
अंतिम तिथि-08.05.2023

## विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-05/2023

झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), राँची के पत्रांक-3527, दिनांक-07.06.2022 एवं पत्रांक-2211, दिनांक-12.08.2022 के द्वारा प्राप्त अध्यापना के आलोक में राज्य के 59 राजकीय/राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु संसूचित रिक्तियों के अनुरूप केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव रखने वाले इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

| क्र० सं० | पद का नाम | कुल पद | कोटिवार रिक्तियाँ |         |       |                  |                 |                                | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण |       |         |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------|--------|-------------------|---------|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |        | अनारक्षित         | अ०ज०जा० | अ०जा० | अ०पि०व० (अनु०-I) | पि०व० (अनु०-II) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | आदिम जनजाति                                      | महिला | खेल कूद | दिव्यांग |    |    | (घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है। |
| 1        | 2         | 3      | 4                 | 5       | 6     | 7                | 8               | 9                              | 10                                               | 11    | 12      | 13       | 14 | 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.       | प्राचार्य | 39     | 17                | 10      | 04    | 03               | 02              | 03                             | 00                                               | 02    | 01      | 01       | 01 | 00 | 00                                                                                                                                                                                                                                                               |

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान - Pay Scale-15600-39100, Grade Pay-7600/-
3. पद - स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

-13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ए0ड0/बी0एससी0एड0।

अथवा

—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी0एड0—एम0एड0।

नोट:— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

6. अनुभव :- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव।

नोट:—अनुभव के संदर्भ में कट-ऑफ डेट की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से मान्य होगी।

7. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए।

8. उम्र की गणना :- 01.01.2022 के आधार पर की जाएगी।

(a) न्यूनतम उम्र सीमा:- 35 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी:-

| क्र० सं० | कोटि                                             | अधिकतम आयु सीमा | विकलांगों के लिए |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1.       | अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)         | 50 वर्ष         | 55 वर्ष          |
| 2.       | पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग                       | 52 वर्ष         | 55 वर्ष          |
| 3.       | महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)   | 53 वर्ष         | 55 वर्ष          |
| 4.       | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) | 55 वर्ष         | 55 वर्ष          |
| 5.       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (महिला)           | 53 वर्ष         | 55 वर्ष          |

9. नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया :- लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

| क्र. | विषय                                                                                                          | पूर्णांक | समय    | अभ्युक्ति                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| 1    | प्रश्न पत्र-I<br>सामान्य अध्ययन (स्नातक स्तरीय)                                                               | 200      | 3 घंटा | सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य |
| 2    | प्रश्न पत्र-II<br>विषय, जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है। (स्नातकोत्तर स्तरीय) | 300      | 3 घंटा | सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य |

प्रश्न पत्र-I एवं प्रश्न पत्र-II में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। दोनों प्रश्न पत्र में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। गैर आरक्षित श्रेणी, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक 50 प्रतिशत होगा।

नोट:- मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

10. **आरक्षण का लाभ :-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(ख) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :-

- i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- ii. आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- iii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(घ) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ङ) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(a) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 एवं पत्रांक-1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/ अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

**नोट:-** केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-** झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

**नोट:-**

(i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form- XI Required अंकित हो तो Form- XI (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(c) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(च) निःशक्तता का लाभ :-

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-5888, दिनांक 06.08.2018 प्रभावी होगा। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-332, दिनांक 24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य हैं। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

| प्रतियोगिता का स्तर                                                                                          | उपलब्धि       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।                     | मेडल          |
| (ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता। | प्रथम स्थान   |
| (iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।                                                                         | विश्व रिकार्ड |

12. (क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (vii) Using unfair means during the test, or
- (viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script or
- (ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (b) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (c) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (d) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (e) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (f) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (g) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id**, **Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number**, **e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number**, **e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (h) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (i) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (j) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **“Download Filled Application Section”** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- (k) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (l) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (m) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

- (n) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.—+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (o) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:— 1. +919431301636 2. +919431301419
- (p) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (q) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रतिष्ठित करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।
- (r) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (s) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (t) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के माध्यम से अग्रसारित कर आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि-दिनांक—26.05.2023 अपराह्न—5:00 बजे तक निर्बंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर "विज्ञापन संख्या—05/2023" तथा "पद का नाम—प्राचार्य" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (ii) कंडिका—5 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
- (iii) कंडिका—6 में उल्लेखित शिक्षण अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
- (नोट:—केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषयों में न्यूनतम 8 वर्षों का स्नातकोत्तर के रूप में शिक्षण अनुभव संबंधी विहित प्रपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थियों को उक्त विहित प्रपत्र में शिक्षण अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।
- (iv) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
- (v) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
- (vi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

15. अंतिम तिथि :-

- (a) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-05.04.2023 से दिनांक-08.05.2023 तक अपराहन-11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक-08.05.2023 के बाद दिनांक-11.05.2023 अपराहन-11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (c) आवेदक आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक-26.05.2023 अपराहन-5:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-  
परीक्षा नियंत्रक,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।